न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.
अपील संख्या 05/2021 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2021/6)

1. गोविन्दप्रसाद
2. लालचन्द

पुत्रगण स्व. सोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासीगण ढाणी रोही चाडवास तहसील बीदासर जिला चूरू।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. सागरमल पुत्र मालचन्द जाति जाट निवासी ग्राम चाडवास तहसील बीदासर जिला चूरू।
2. चन्दनमल पुत्र सोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी सुजानगढ जिला चूरू।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार बीदासर।

रेस्पोर्डेंट्स

4. भंवरलाल
5. लक्ष्मीनारायण

पुत्रगण स्व. सोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासीगण ढाणी रोही चाडवास तहसील बीदासर जिला चूरू।

6. रामकन्या पुत्री सोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा सुजानगढ जिला चूरू।

गौण रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः 1. श्री राजेश बैद – अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री सुनील भाटी – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 एवं 2
3.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 14.03.2022**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी बीदासर के निर्णय दिनांक 03.07.2020 के विरूद्ध पेश हुई है।

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने उपखण्ड अधिकारी बीदासर में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम चाडवास कें खाता संख्या 540 में राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती/संशोधन किये जाने का निवेदन किया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी बीदासर ने अपने आदेश दिनांक 03.07.2020 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार उक्त खाता संख्या में प्रविष्टि को शुद्व कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा अपील पेश की गई है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 4 ता 6 के निमित नोटिस जारी करने के बावजूद भी उपस्थित नही हुए।

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुवे बहस कें दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय कें समक्ष रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने खाता दुरूस्ती का आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर इकतरफा तौर पर मात्र पटवारी की रिपोर्ट लेकर आनन–फानन में बिना अन्य हितबद्व एवं आवश्यक पक्षकारो को पक्षकार बनाये व बिना नोटिस दिये आदेश जैर अपील पारित कर दिया। अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट सं. 2 तथा गौण रेस्पोडेन्ट के पिता स्व. सोहनलाल के नाम से मौजारोही चाडवास के पुराने खाता सं. 543 में खसरा नं. 874 तादादी 0.04 बीधा, खसरा नं. 875 तादादी 53.17 बीधा, खसरा नं. 927 तादादी 44.16 बीधा, एवं खसरा नं. 931 तादादी 23.10 बीधा, कुल तादादी 122.07 बीधा स्थित थी। उनकी मुत्यु के पश्चात नामान्तरण संख्या 1682 दिनांक18.10.2018 को जिसके वर्तमान खाता सं. 540 मे सभी वारिसान के नाम 5.1576 हैक्टर प्रत्येक के चारो खसरो मे अविभाजित दर्ज की गई। उक्त भूमि का विभाजन नही हुआ है। सभी सहखातेदार अपने अपने भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने रेस्पोडेन्ट सं. 2 से बिना भूमि का विभाजन करवाये दिनांक 05.03.2018 को उक्त भूमि में से खसरा नं. 927 की भूमि में रेस्पोडेन्ट सं. 2 का 1/6 हिस्सा 1.8885 हैक्टर क्रय कर ली जबकि बिना विभाजन करवाये खसरा विशेष में उनको विक्रय करने का हक नही था। इस प्रभावहीन विक्रय पत्र के आधार पर सम्पूर्ण खाते में अपना नाम 1/6 हिस्सा दर्ज करने का नामान्तरण सं. 1692 दिनांक 06.04.2018 भी दर्ज करवा लिया जो प्रारम्भ से ही अवैद्य एवं शून्य है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज राजस्व इन्द्राज के आधार पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय मे विभाजन हेतु वाद भी प्रस्तुत किया जो विचाराधीन है। तथा अपीलान्ट एव अन्य सहखातेदारान द्वारा एक चिरस्थाई निषेधाज्ञा का वाद अधीनस्थ न्यायालय के संमक्ष प्रस्तुत किया जो जैरकार है जिसमें सम्पूर्ण वादगत भूमि के सम्बन्ध में रिकोर्ड की यथास्थिति एव प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी ना करने का आदेश दिये गये है। जहा वादगत भूमि के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभाव में है वहा आनन –फानन में अन्य हितबद्व एवं

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

आवश्यक पक्षकारो को पक्षकार बनाये बिना एक सरसरी कार्यवाही के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि के खाते में संशोधन के आदेश पारित किये है वो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील जानकारी से अन्दर मियाद शुमार कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.07.2020 निरस्त फरमाया जावे।

5. रेस्पोडेन्ट सं. 1 एवं 2 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट द्वारा अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 03.07.2020 है, अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 अनुसार अपीलान्ट को जानकारी 01.03.2021 को हुई, जिसकी नकल दिनांक 03.03.2021 को मिली। अपील कब प्रस्तुत की गई कोई दिनांक नही लिखी गई है। अपीलान्ट ने विलम्ब का जो कारण बताया है व प्रर्याप्त नही है क्योकि सागरमल बनाम गोविन्दराम मुकद्मा संख्या 35/2018 आज भी विचाराधीन है तथा निगरानी संख्या 1259/21 जिसकी आगामी तिथी 28.02.2022 है। इस प्रकार अपीलान्ट की अपील मियाद पर खारिज योग्य है। प्रार्थना पत्र 136 पर पटवारी, गिरदावर, और तहसीलदार की रिर्पोट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है जो सही है। विरास्तन इन्तकाल जो दर्ज हुआ है उसमें पक्षकारो को नोटिस देने की आवश्यकता नही होती है। इन्तकाल एक फिस्कल प्रक्रिया है जिसमें पक्षकारो के हक व अधिकार तय नही किये जा सकते है। अतः अपीलान्ट की अपील इसी स्तर पर खारिज की जावे।

6. अपीलान्ट द्वारा अपील अन्दर मियाद स्वीकार करने के लिए प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया कि अपीलान्ट्स को हितबद्व पक्षकार होते हुए भी किसी प्रकार का नोटिस नही दिया। आदेश इकतरफा तौर पर पारित किया गया है। दिनांक 22.02.2021 को वाद संख्या 35/2018 मे सशोधन प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए आदेश जैर अपील दिनांक 03.07.2020 प्रस्तुत किया जिस पर प्रार्थी ने अपने अभिभाषक के जरिये आदेश जैर अपील की पत्रावली की पडताल करवाई जो दिनांक 01.03.2021 को मिली । उसी दिन आदेश जैर अपील की

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

प्रमाणित नकल प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। बाद तैयारी नकल दिनांक 03.03.2021 को प्राप्त हुई। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा इसका कोई औपचारिक जवाब या खण्डन प्रस्तुत नही किया गया है। लिहाजा प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी बीदासर के आदेश दिनांक 03.07.2020 को निरस्त करने का अनुतोष चाहा है। प्रस्तुत प्रकरण में नियमित वाद उपखण्ड अधिकारी बीदासर के न्यायालय में पक्षकारान के मध्य वाद सं. 35/2018 एवं प्रार्थना पत्र सं. 25/2019 विचाराधीन होते हुए राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन के साधारण प्रार्थना पत्र जिसमें प्रभावित पक्षकारों को पक्षकार बनाए बिना, सुनवाई का अवसर दिए बिना शुद्धि करने के आदेश पारित किए गए है जो कि न्यायोचित नहीं है। इसके अतिरिक्त उक्त शुद्धि प्रार्थना पत्र के माध्यम से नामान्तकरण सं. 1692 दिनांक 06.04.2018 की प्रविष्टियो के प्रभावशील होते हुए उक्त नामान्तकरण को निरस्त किए बिना अपीलाधीन आदेश पारित किए गए है जो कि न्यायोचित नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी बीदासर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.07.2020 को निरस्त किया जाता है।

8. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 14.03.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।